न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 59 /अ-59/2017-18/ 5558 बैतूल दिनांक 4 / 5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 48 तहसील बैतूल द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम खेड़ली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 41/1 रकबा 0.567 हेक्टेयर मद चरनोई में संलग्न सूची अनुसार 27 व्यक्ति अतिक्रमण कर मकान बनाकर निवासरत है। ग्राम मे चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से कम होने के कारण खसरा नंबर 97 रकबा 0.279हेक्टेयर मद रास्ता जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा ।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार बैतूल द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा खेड़ली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 297 रकबा 0.297 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-1-2018 को ग्राम खेड़ली में आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 02 पारित किया जाकर मौजा खेड़ली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 297 रकबा 0.297 हेक्टेयर मद रास्ता की भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा खेड़ली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 97 रकबा 0.297 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- तहसीलदार बैतूल द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, मौजा खेड़ली स्थित खसरा नंबर 41/1 रकबा 0.567 हेक्टेयर में से 0.300 हेक्टेयर पर ग्रामवासियो द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाए गए है। ग्राम खेड़ली का मकबूजा रकबा 123.251 हेक्टेयर है तथा ग्राम में वर्तमान में उपलब्ध चरनोई का रकबा 1.369 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रकबा 2.465 हेक्टेयर रक्षित रहना अनिवार्य है, परन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से कम है। रास्ता मद के खसरा नंबर 97 रकबा 0.297 हेक्टेयर को चरनोई घोषित किया जाकर, खसरा नंबर 41/1 को आबादी घोषित किया जा सकता है। खसरा नंबर 97 में से 20**X**198=3960 वर्गफुट (0.036 हेक्टेयर) भूमि का उपयोग ग्रामवासी केलापुर आने जाने के लिए रास्ते के रूप में करते है, उक्त खसरा नंबर 97 में लगभग 30**X**40=1200 वर्गफुट(0.011 हेक्टेयर) में द्वारकाप्रसाद पिता हरिकिशोर राठौर निवासी खण्डारा का कच्चा मकान बना है, एवं रिक्त भूमि पर द्वारकाप्रसाद पिता हरिकिशोर का कब्जा है। रास्ता मद की भूमि का मद परिवर्तन किए जाने से भविष्य में रास्ता के उपयोग हेतु 20**X**198=3960 वर्गफुट (0.036 हेक्टेयर) की कमी होगी, शेष रास्ते की भूमि को आबादी घोषित किया जाता है तो भविष्य में भी रास्ता प्रभावित नहीं होगा। उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा मौजा खेड़ली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 97 रकबा 0.297 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा

समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण का समग्र अवलोकन किया। तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम खेड़ली का मकबूजा रकबा 123.251 हेक्टेयर है तथा ग्राम में वर्तमान में उपलब्ध चरनोई का रकबा 1.369 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रकबा 2.465 हेक्टेयर रक्षित रहना अनिवार्य है, परन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से कम है। रास्ता मद के खसरा नंबर 97 रकबा 0.297 हेक्टेयर को चरनोई घोषित किया जाकर, खसरा नंबर 41/1 को आबादी घोषित किया जा सकता है। वर्तमान में ग्राम खेड़ली में चरनोई के रक्षित रकबे हेतु आवश्यक रकबा (2.465 हे.) में 1.096 हेक्टेयर की कमी है। तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार रास्ता मद की 0.297 हेक्टेयर भूमि को चरनोई घोषित करने के उपरांत भी चरनोई के 2 प्रतिशत रकबे की पूर्ति नहीं होगी । ऐसी स्थिति में चरनोई मद की भूमि की नोईयत परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5- अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा खेड़ली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 97 रकबा 0.297 हेक्टेयर मद रास्ता में से वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही 0.036 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष 0.261 हेक्टेयर भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-59 /अ-59/2017-18/ 5558 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- तहसीलदार बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत खेड़ली जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.